सं. 38/37/08-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003.

* * *

दिनांक : 21 मई, 2009

**कार्यालय ज्ञापन**

विषय :- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन --- 2006 के पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों इत्यादि के पेंशन में संशोधन इत्यादि।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.10.2008 में पेंशन का संवितरण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से अनुरोध किया गया था कि वे उस कार्यालय ज्ञापन की जारी होने की तारीख से एक महीने के अन्दर पेंशन में संशोधन करके बढ़ाई गई पेंशन (महंगाई राहत के साथ) और एरियर का संवितरण कर दें । यह उल्लेख किया गया कि संशोधित पेंशन के संबंध में एक उपयुक्त प्रविष्टि पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा पेंशन भुगतान आदेश के दोनों अद्धों में की जाएगी और संशोधित पेंशन के संवितरण के संबंध में एक संसूचना पेंशन संवितरण प्राधिकरणों द्वारा सी.पी.ए.ओ. और लेखा अधिकारी को भेजी जाएगी, जिन्होंने उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध-II में दिए गए संशोधित फार्म में पी.पी.ओ. जारी किए थे, ताकि वे इस प्रकार संशोधित पेंशन का सत्यापन कर सकें और पेंशन भुगतान आदेश रजिस्टर इत्यादि को अद्यतन बना सके । अनुबन्ध-III में यह उल्लेख किया गया कि पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का सत्यापन/अंतिम संशोधन संबंधित वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

2. तदनुसार, जिन मामलों में वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन संवितरण बैंकों इत्यादि से अनुबन्ध-III में सूचना प्राप्त हो गई है, उसे इसका सत्यापन करना चाहिए और पेंशन भुगतान संशोधित प्राधिकार जारी करना चाहिए । यदि बैंक द्वारा पेंशन के संशोधन में कोई विसंगति है, तो आवश्यक समायोजन करने हेतु वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा बैंक को शीघ्र सूचित किया जाना चाहिए । जिन मामलों में वेतन और लेखा अधिकारी को बैंक से अनुबन्ध-III में सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो वेतन और लेखा अधिकारी को पी.पी.ओ./उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पेंशन के भुगतान हेतु संशोधित प्राधिकार जारी करना चाहिए और तदनुसार संशोधित पेंशन का भुगतान करने के लिए इसे बैंक को भेज देना चाहिए ।

3. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.10.2008 में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि जन्मतिथि, वेतनमान अथवा अर्हक सेवा इत्यादि से संबंधित कोई सूचना बैंक के पास उपलब्ध नहीं है, तो बैंक अपेक्षित सूचना संबंधित लेखा अधिकारी/सी.पी.ए.ओ. से प्राप्त कर सकता है । संबंधित

वेतन और लेखा अधिकारी/सी.पी.ए.ओ. का यह दायित्व होगा कि वह बैंक से अनुरोध प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध अभिलेखों से सूचना मुहैया कराएं ।

4. जिन मामलों में पी.पी.ओ. में तथा सी.पी.ए.ओ./वेतन और लेखा कार्यालय के अभिलेखों में जन्मतिथि उपलब्ध नहीं है, पुराने पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन के भुगतान हेतु अपनाई गई प्रविधियों से संबंधित मामला महालेखाकार और वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन रहा है । अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि पी.पी.ओ. अथवा कार्यालय अभिलेखों में सही जन्मतिथि उपलब्ध नहीं है, लेकिन पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी की जन्मतिथि के संबंध में कार्यालय अभिलेख में संकेत उपलब्ध हैं, तो पी.पी.ओ./कार्यालय अभिलेख के आधार पर अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का भुगतान उस वर्ष के 01 जनवरी से किया जाएगा, जिसके पहले पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी ने 80 वर्ष, 85 वर्ष इत्यादि की आयु पूरी कर ली है । उदाहरणार्थ, यदि अभिलेख यह दर्शाता है कि पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी ने 01 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, 80 वर्ष / 85 वर्ष की आयु पहले ही पूरी कर ली है, तो उसे 01 जनवरी, 2008 से अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन मिलेगा ।

5. यदि सही जन्मतिथि अथवा आयु पी.पी.ओ. में अथवा कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, तो पेंशन संवितरण प्राधिकरण/बैंक जन्मतिथि/आयु से संबंधित सूचना की अनुपलब्धता के बारे में पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी को एक संसूचना भेजेगा और उनसे अनुरोध करेगा कि वह निम्नलिखित में से किसी भी एक दस्तावेज की राजपत्रित अधिकारी/एम.एल.ए. द्वारा सत्यापित चार प्रतियाँ पेंशन संवितरण प्राधिकारी को भेज दें :

(i) पैन कार्ड
(ii) मैट्रिक प्रमाणपत्र (जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो)
(iii) पासपोर्ट
(iv) सी.जी.एच.एस. कार्ड
(v) ड्राइविंग लाइसेंस (यदि इसमें जन्मतिथि का उल्लेख है)

यदि पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करता है, जिसमें वास्तविक जन्मतिथि से संबंधित सूचना है, तो उसे अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का भुगतान उस महीने की पहली तारीख से, जिस महीने में उसकी जन्मतिथि है, इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3.10.2008 में बताए तरीके से किया जाएगा । यदि पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में वास्तविक जन्मतिथि उपलब्ध नहीं है, लेकिन पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी की उम्र के संबंध में संकेत उपलब्ध हैं, तो पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के आधार पर अतिरिक्त पेंशन का भुगतान वर्ष की पहली जनवरी से किया जाएगा, जिसके पहले पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी ने 80 वर्ष, 85 वर्ष इत्यादि की आयु पूरी कर ली है । उदाहरणार्थ, यदि पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्वाचन पहचान-पत्र यह दर्शाता है कि 01 जनवरी, 2007 को उनकी आयु 80 वर्ष है, तो उन्हें 01 जनवरी, 2007 से अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन अनुमत्य होगा ।

6. पेंशन संवितरण प्राधिकरण/बैंक अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का भुगतान उपर्युक्त तरीके से, अस्थायी आधार पर उस महीने से तीन महीने की अवधि तक करेगा, जिस महीने में पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा आयु/जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो । ऐसे मामलों में, पेंशन संवितरण प्राधिकरण/बैंक पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दस्तावेज की एक प्रति पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के औपचारिक प्राधिकरण हेतु वेतन और लेखा अधिकारी/सी.पी.ए.ओ. को शीघ्र भेजेगा । पेंशन संवितरण प्राधिकरण/बैंक वेतन और लेखा अधिकारी से ऐसा एक प्राधिकरण प्राप्त होने पर ही तीन महीने की अवधि के बाद भी अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का भुगतान करेगा ।

7. यदि पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी उपर्युक्त पैरा-5 में उल्लिखित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, लेकिन किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर अतिरिक्त पेंशन का दावा करता है, तो ऐसे मामले प्रशासनिक मंत्रालय को सौंप दिए जाएंगे । यदि प्रशासनिक मंत्रालय पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी के दावे के बारे में संतुष्ट है, तो यह तदनुसार अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन प्राधिकृत कर देगा । इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा ।

8. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों से अनुरोध है कि वे अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के भुगतान के मामलों का निपटान करते समय उपर्युक्त निर्णयों का ध्यान रखें । सी.जी.ए./पी.ए.ओ. से अनुरोध है कि वे सभी पेंशन संवितरण/संस्वीकृति प्राधिकारियों को उपर्युक्त अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त कार्रवाई करने की सलाह दें । इसी प्रकार, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अपने-अपने संबंधित लेखा विभाग को तदनुसार अनुदेश जारी किए जाएं ।

9. यह वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनके आई.सी.यू.ओ. सं. 185/ई.वी./2009 दिनांक 4.5.2009 द्वारा जारी किया जाता है ।

(एम. पी. सिंह)
निदेशक (पी.पी)
टेलीफैक्स सं. 24624802

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. स्टैंडर्ड डाक सूची के अनुसार ।

कृपया देखें : http://pensionersportal.gov.in